न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1507

1. गणेशराम पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी ग्राम लाडवा तहसील धोद, जिला सीकर राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील धोद, जिला सीकर, राजस्थान।

– रेस्पॉडेन्ट

2. कुशालाराम पुत्र उमाराम,
3. गणपत पुत्र हेमा,
4. जवाहरसिंह पुत्र देबु,
5. तनसुख पुत्र रेखा,
6. दुधाराम पुत्र रेखा,
7. नन्दलाल पुत्र मोहनलाल,
8. नारायणी पुत्री देबु,
9. प्रभाती देवी पुत्री मोहनलाल,
10. परमेश्वरी देवी पुत्री मोहनलाल,
11. पोखरराम पुत्र उमाराम,
12. बन्नेसिंह उर्फ श्रवण कुमार पुत्र बलवीर,
13. बृजेन्द्र पुत्र देबु,
14. बीरमाराम पुत्र भोमाराम,
15. भंवरी देवी पत्नी मोहनलाल,
16. भानाराम पुत्र देबु,
17. मंजू पुत्री देबु,
18. मंजू देवी पुत्री मोहनलाल,
19. रूकमा पुत्री देबु,
20. रणजीत पुत्र मोहनलाल,
21. रामेश्वरलाल पुत्र भोमाराम,
22. बिमला देवी पुत्री मोहनलाल,
23. सुरजी पत्नी बलवीर,
24. हरदयाल पुत्र देबु,

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम लाडवा, तहसील धोद, जिला सीकर।

– प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर ने मुकदमा संख्या 71/2025 उनवान सरकार जरिये तहसीलदार धोद बनाम गोपाल व अन्य निर्णय दिनांक 02.05.2025 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम प्रकरण रास्ते सम्बन्धी अभियान 2016 में अपीलार्थी की भूमि में से अवैधानिक रूप से रास्ता कायम किया जाकर पारित किया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित :–

1. श्री हरलाल सिंह, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. श्री विक्रम सिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 9, 14 से 17, व 19, 21, 23, 24 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 10 से 13 व 18, 20, 22 बाद तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 26.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 02.05.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 26.06.2025 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार धोद द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 व राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.4(10) राज–6/2024 जयपुर दिनांक 06.09.2024 की पालना में दिनांक 22.04.2025 को आवागमन में सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने बाबत् पटवार मण्डल भुवाला के राजस्व ग्राम लाडवा, तहसील धोद, जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 149, 248/180, 249/180, 187 में प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू है। इस रास्ते का सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में स्थाई अंकन करने हेतु अभिशंषा मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर को भिजवाया गया।

   जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं राजस्थान भू– अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार धोद, जिला सीकर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 22.04.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोद को आदेशित किया गया कि वे रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व ग्राम लाडवा पटवार मण्डल भुंवाला भू.अ.नि. वृत धोद तहसील धोद जिला सीकर के आराजीयात खसरा सं. 149, 248/180, 249/180 व 187 में से प्रस्तावित रास्ते की भूमि (प्रस्ताव में अंकित रकबे के अनुसार) रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने व संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए, रास्ता के रकबा की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने एवं प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने तथा गै0मु0 रास्ता की भूमि संबंधित खातेदारान् के खाते में ही बनी रहेगी। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/645 दिनांक 22.04.2025 से प्राप्त हस्तगत रास्ता प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट आदेश का भाग रखने एवं तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2025 पारित किये गये है।

3. उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 02.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट गणेशराम पुत्र उमाराम द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 02.05.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय नियम व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक कोई न्यायिक अथवा

अर्द्ध न्यायिक आदेश पारित नही किया जा सकता जब तक कि उसे सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नही किया जाता। मौजूदा प्रकरण मे अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 249/180 रकबा 2.42 है०, (हाल खसरा नं0 415/249 रकबा 0.1000 है०, खसरा नं0 416/249 रकबा 2.32 है0) राजस्व ग्राम लाडवा पटवार हल्का भुवाला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धोद तहसील धोद जिला सीकर (राज०) के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में उसका नाम अंकित है, भूमि पर उसका कब्जा है तथा भूमि का वो उपयोग उपभोग करते है। लेकिन इसके बावजूद तहसीलदार धोद (राज०) ने बिना किसी आधार के बिना कोई रास्ता हुए अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को नाजायज फायदा पहुँचाने के लिये मिलीभगत कर रंजिश पूर्वक कार्यवाही करवाई है। उक्त तथ्य पर उपखण्ड अधिकारी ने कोई ध्यान नही दिया और अपीलार्थी की भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान कर दिये जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि तहसीलदार धोद (राज०) द्वारा जो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी वो किसी विधिक आधार पर आधारित नही थी बल्कि खसरा नं0 149 व 248/180 के खातेदार गोपाल पुत्र जोधाराम व खसरा नं0 187 के खातेदार बिरमाराम पुत्र भोमाराम व रामेश्वरलाल पुत्र भोमाराम के प्रभाव में आकर झूठी रिपोर्ट तहसीलदार से बनवाई गई थी तथा प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तियों ने अपने प्रभाव का उपयोग कर उपखण्ड अधिकारी से अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जबकि मौके पर अपीलार्थी व प्रोफार्मा रेस्पोडेन्टस की भूमि में से कभी कोई रास्ता नही रहा है तथा ना ही मौके पर कायम है। अपीलार्थी की भूमि खसरा नं0 249/180 रकबा 2.42 है0 जिसके हाल खसरा नं0 415/249 रकबा 0.1000 है0 गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे कायम कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा उपरोक्त अपीलाधीन आदेश से रास्ता दिखाया गया है वहाँ मौके पर कोई रास्ता नही है। अन्यथा भी किसी खातेदार के खेत मे से बिना किसी आधार के रास्ता कायम नही किया जा सकता। उपरोक्त तथ्य को नजरअंदाज कर व तहसीलदार द्वारा बनाई गई गलत रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है जो प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद ने मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2025 पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद के पीठासीन अधिकारी द्वारा अवैधानिक रूप से उपरोक्त आदेश प्रदान किया गया। अपीलार्थी की भूमि मे से बिना कोई रास्ता हुए अपीलाधीन आदेश की आड मे रास्ता कायम किया गया है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट की भूमि मे से जो रास्ता तहसीलदार की रिपोर्ट मे दर्शाया गया है उस रास्ते का कोई वजूद नही है। इसके बावजूद हल्का पटवारी व तहसीलदार की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त रास्ता कायम कर दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद (राज०) ने अपने आदेश मे राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का अंकन करते हुए उसके अनुसार निर्णय पारित किया है, जबकि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र में कही भी यह अंकन नही है, कि प्रभावित खातेदार को बिना सुने तथा मौके पर बिना कोई रास्ता पूर्व मे प्रचलित हुए बिना नया रास्ता कायम करने का कोई प्रावधान हो। उसके बावजूद राज्य सरकार के उपरोक्त परिपत्र मे अंकित तथ्यों व कानूनी स्थिति को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया है कि अपीलार्थी व प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट की उपरोक्त भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी ने उक्त तथ्यों को पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी व प्रोफार्मा रेस्पोडेन्टस की भूमि में से एक नया रास्ता कायम करने के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आदेश पारित कर दिये है जो पूर्णता औचित्यहीन है जिसका केवल मात्र उद्देश्य अपीलार्थी व प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट की भूमि में से रंजिशवश प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव मे आकर अपीलार्थी व प्रोफार्मा रेस्पोडेन्टस की खातेदारी समाप्त करना है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि भूमि खसरा नं0 249/180 रकबा 2.42 है0 भूमि पर अपीलार्थी काबिज है तथा मनबट के हिसाब से खातेदारी मे आपसी बंटवारा कर उपरोक्त भूमि पर अर्सेदराज से काबिज है इसके बावजूद अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया तथा मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया इसलिये निर्णय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया है कि उनके समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य नही थी जिससे लेशमात्र से भी यह प्रमाणित हो कि मौके पर पूर्व से कोई प्रचलित रास्ता रहा हो या वर्तमान मे कोई रास्ता आवागमन के रूप में काम में आ रहा हो। इसके बाजवूद अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से नया रास्ता कायम कर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी व प्रोफार्मा रेस्पोडेन्टस की खातेदारी भूमि मे से रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का कोई अवलोकन नहीं किया जिसमें दिनांक 15.12.2016 के बाद उक्त परिपत्र के आधार पर किसी तरह का कोई रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं है तथा उसमें यह भी स्पष्ट रूप से प्रावधान है, कि अन्य खातेदार को किसी खेत में से होकर नया रास्ता कायम करवाना हो तो उसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विधि अनुसार सुनवाई की जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त कानूनी प्रावधानों की अवहेलना कर बिना कोई रास्ता मौके पर कायम हुए भूमि खसरा नं0 149 तथा 187 के खातेदार को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिये अपीलार्थी की भूमि में से रास्ता कायम किया है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि उक्त अधिसूचना दिनांक 10.08.2016 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58 (ए) के तहत कोई रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो उसकी प्रति संबंधित खातेदार को दी जावेगी तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही कोई निर्णय पारित किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा प्रकरण में हल्का पटवारी, तहसीलदार धोद (राज०) व उपखण्ड अधिकारी धोद (राज०) द्वारा उपरोक्त विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसलिये निर्णय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अपीलाधीन आदेश में कही यह अंकन नही किया कि उक्त खसरा नम्बर में जो रास्ता कायम किया जा रहा है उसकी चौड़ाई कितनी होगी तथा उसकी लम्बाई कितनी होगी तथा प्रभावित खातेदार की भूमि में उसके खातेदारी अधिकार प्रभावित किये जा रहे है तथा अवैधानिक रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। प्रार्थी वर्णित भूमि खसरा नम्बर 249/180 रकबा 2.42 है0, (हाल खसरा नं0 415/249 रकबा 0.1000 है०, खसरा नं0 416/249 रकबा 2.32 है0) राजस्व ग्राम लाडवा पटवार हल्का भुवाला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धोद तहसील धोद जिला सीकर (राज०) वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है राजस्व रिकार्ड में उसका नाम अंकित है भूमि पर उसका कब्जा है। इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी धोद ने बिना प्रकरण में पक्षकार बनाये उनकी उपरोक्त खातेदारी की भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान कर दिये है। इसलिये प्रार्थी के उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2025 से उसके अधिकार गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहे है इसलिये उसे उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना अत्यंत आवश्यक है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायहित में उपखण्ड अधिकारी धोद (राज०) द्वारा पारित उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2025 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाकर अपीलाट को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा भी उक्त क्षेत्राधिकार विहिन आदेश व शून्य प्रभावी आदेश से प्रार्थी के भूमि मे खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये है। इसलिये उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया जाकर उसे निरस्त करवाया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर (राज०) द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2025 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 9, 14 से 17, 19, 21, 23 व 24 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार धोद द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 व राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.4(10) राज–6/2024 जयपुर दिनांक 06.09.2024 की पालना में दिनांक 22.04.2025 को आवागमन में सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने बाबत् पटवार मण्डल भुवाला के राजस्व ग्राम लाडवा, तहसील धोद, जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 149, 248/180, 249/180, 187 में प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू है। इस रास्ते का सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में स्थाई अंकन करने हेतु अभिशंषा मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार धोद, जिला सीकर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 22.04.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोद को आदेशित किया गया कि वे रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व ग्राम लाडवा पटवार मण्डल भुंवाला भू.अ.नि. वृत धोद तहसील धोद जिला सीकर के आराजीयात खसरा सं. 149, 248/180, 249/180 व 187 में से प्रस्तावित रास्ते की भूमि (प्रस्ताव में अंकित रकबे के अनुसार) रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने व संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए, रास्ता के रकबा की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने एवं प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने तथा गै0मु0 रास्ता की भूमि संबंधित खातेदारान् के खाते में ही बनी रहेगी। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/645 दिनांक 22.04.2025 से प्राप्त हस्तगत रास्ता प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट आदेश का भाग रखने एवं तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2025 पारित किये गये है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.05.2025 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। ग्राम पंचायत, भुंवाला ने भी प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 21.04.2025 से उक्त प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की सहमति एवं अनापत्ति प्रदान की गयी है। उक्त प्रस्तावित रास्ता ग्राम लाडवा से अनोखु को जोडता है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.05.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर